



राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.ओ एस.ओ परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर -302017
(फोन एवं फ़ैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक:- प. 3()/रा.सू.आ/स्था./2020/2169-73

दिनांक 11-9-2020

कार्यालय आदेश

आज दिनांक 11.09.2020 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में जिसमें दोनों माननीय सूचना आयुक्त, सचिव, उप सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे के समक्ष यह निर्णय लिया गया कि आयोग के होमगार्ड ड्राईवर श्री प्रवीण कुमार जांगिड के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण उनके सम्पर्क में आये आयोग के अन्य कार्मिकों के भी संक्रमित हो जाने की संभावना के मध्यनजर उनका कोविड टेस्ट कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा कोरोना से सुरक्षा के बचाव के मध्यनजर आयोग के तीनों कोर्टों का कार्य आगामी 14.09.2020 से 16.09.2020 तक स्थगित किया जाता है।

—sd/—

(राधे प्रताप सिंह)
सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, महोदय।
- 2- निजी सचिव, सूचना आयुक्त, द्वितीय/तृतीय महोदय।
- 3- प्रोग्रामर, राज. राज्य सूचना आयोग, जयपुर को भेज कर लेख है कि आयोग की वेबसाईट पर उपरोक्त आदेश तुरन्त अपलोड करावें।
- 4- गार्ड प्रभारी को भेज कर लेख है कि आगामी राजपत्रित अवकाश व सोमवार से बुधवार तक आयोग में आगन्तुकों का प्रवेश बन्द रहेगा। अतः आयोग के मुख्य गेट पर आदेश चस्बा कर सभी को सूचित करेंगे।

—sd/—

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर